187.

अंकेक्षण व निरीक्षण पत्र, ~~उप निदेशक~~ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय-सोलन (हि0प्र0)

===

अवधि 4/87 से 3/91.

1. गत अंकेक्षण पत्र :-

निम्न अनिर्णीत गत पैरों पर की गई कार्यवाही का विवरण ।

(क) अंकेक्षण पत्र अवधि 7/77 से 3/80 :

पैरा 5 व 6 व 10 (ख)	निर्णीत ।
पैरा 12, 16 व 17:-	निर्णीत ।
पैरा 14:-	श्री जे0एस0 चौहान से 375/- रू0 की वसूली की कोई कोशिश नहीं की गई श्री चौहान वर्तमान में सहायक आयुक्त श्रम विभाग हि0प्र0 में तैनात हैं । उनसे राशि की वसूली की जावे अन्यथा विभाग के उस जिम्मेवार अधिकारी से तुरन्त वसूल करें जिन्होंने आज तक वसूल नहीं की ।

(ख) अंकेक्षण पत्र अवधि 4/80 से 3/84 :

पैरा 4 (डी)	अनिर्णीत ।
पैरा 6 (बी) :-	जिलाधीश सोलन द्वारा पूर्ण छानबीन करने के बाद उक्त कर्मचारी को निर्दोष पाया गया अत: पैरा निर्णीत समझा जावे ।
पैरा 6 (सी) :-	अनिर्णीत ।

(ग) अंकेक्षण पत्र अवधि 4/84 से 3/86 :

पैरा 4 (बी)	अनिर्णीत ।
पैरा 4 (सी)	निर्णीत ।
पैरा 4 (डी)	निर्णीत ।
पैरा 4 (ई)	निर्णीत ।
पैरा 4 (एफ)	निर्णीत ।
पैरा 5 (सी)	निर्णीत ।
पैरा 5 (डी)	निर्णीत ।
पैरा 6	अनिर्णीत ।

(घ) अंकेक्षण पत्र अवधि 4/86 से 3/87:

पैरा 3	निर्णीत ।
पैरा 4 (ए)	निर्णीत ।
पैरा 4 (बी)	40,000/- रू0... तुरंत

-188

निदेशक सैनिक कल्याण को लौटाए जावे ।

पैरा 4(सी) — निर्णीत ।

पैरा 4(डी) :- निर्णीत, क्योंकि श्री एस०एस०चौहान उप-निदेशक तथा बलदेव राज लिपिक के गृह किराए की वसूली का मामला वर्तमान अंकेक्षण में अलग से लिया गया है ।

पैरा 4(ई) :- अनिर्णीत, चौकी दार द्वारा अनेकों अनियमितताए करने के बावजूद भी उप निदेशक द्वारा कोई कार्यवाही न कर प्रोत्साहन देना ।

पैरा 4(एफ) — अनिर्णीत , चौकीदार द्वारा विद्युत का दुरुपयोग के बारे में उचित कार्यवाही की जावे ।

पैरा 4(जी) :- निर्णीत ।

पैरा 5(ए) — निर्णीत ।

पैरा 5(बी) :- निर्णीत ।

पैरा6 (ए) :- निर्णीत ।

पैरा6 (बी) :- अनिर्णीत ।

पैरा 6(सी) — अनुचित तरीके से दी गई छात्रवृति की राशि 240/- की वसूली पर कोई कार्यवाही नहीं की गई उक्त राशि को जिम्मेवार अधिकारी श्री एस०एस० चौहान से वसूल किया जावे ।

पैरा 7:- निर्णीत ।

भाग-दो ।

2. वर्तमान अंकेक्षण:- वर्तमान अंकेक्षण व निरिक्षण अवधि 4/87 से 3/91 तक श्री विनोद गुप्ता, अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया अंकेक्षण विस्तृत रूप से दिनांक 8.4.91 से 14.5.91 तक किया गया, अंकेक्षण पर समस्त रिकार्ड प्रस्तुत किया गया ।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

अंकेक्षण शुल्क जिसका ब्यौरा निम्न है, को सरकारी कोष सोलन में दिनांक 23.5.91 को चालान संख्या 35 द्वारा जमा किया गया

विश्राम गृह निधि	640.00
आर० आर० निधि	240.00
फ्लैग डे निधि	शून्य
कुल	880.00रू0

...3...

लगातार..4...

1581

4. विश्राम गृह निधि:-

इस निधि का अंकेक्षण विस्तृत रूप से किया गया जांच का पूर्ण ब्यौरा निम्न है :-

(क) अनुचित अग्रिम राशि की अदायगी:

सैनिक विश्राम गृह से सम्बन्धित विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जिसका ब्यौरा अगामी पैरा में दिया गया है, श्री गोपाल दास ठाकुर ठेकेदार को कुल 2,33,316/-रू0 की राशि अग्रिम राशि के रूप में अदा की गई (ब्यौरा परिशिष्ट "क" पर देखें)

नियमानुसार ठेकेदार को अग्रिम राशि देने का कोई भी प्रावधान नहीं है लेखों के अनुसार इस निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को मई 1991 को नाप-पंजिका में दर्ज किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि अग्रिम राशि का भुगतान कार्यों को सम्पन्न करने से बहुत पहले ही किया जा चुका था ।

इस अग्रिम राशि की अदायगी अनुचित है ।

5. बिना स्वीकृती से झण्डा दिवस निधि से 1,36,775/-रू0 ऋण की प्राप्ति:-

विश्राम गृह निधि को, झण्डा दिवस निधि से 1,36,775/-रू0 की राशि बतौर ऋण प्राप्त की गई ऋण प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई और रतलब है कि पहले भी 40,000/-रू0 की राशि बतौर ऋण निदेशक सैनिक कल्याण से प्राप्त की गई जिसका ब्यौरा अंकेक्षण पत्र अवधि 4/86 से 3/87 के पैरा 4(बी) पर दिया गया है । इस राशि को भी अभीतक नहीं लौटाया गया है । इस ऋण की प्राप्ति की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ली जावे तथा तुरन्त इस राशि को लौटाने के उचित पग उठाए जावे ।

6. पूर्व स्वीकृति बिना राशि का व्यय:-

किसी भी निधि से व्यय करने के लिए उप निदेशक की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है परन्तु श्री आर0आर0 वर्मा ने अपने समस्त कार्यकाल में कभी भी जिलाधीश से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर स्वयं राशि का व्यय किया है तथा 10,000/-रू0 अधिक राशि के व्यय की स्वीकृति निदेशक सैनिक कल्याण/बोर्ड की पूर्व xxxx अनुमति लेना अनिवार्य था राशि के भुगतान का ब्यौरा निम्न है:-

विश्राम गृह के xxxx निर्माण के लिए	2,33,316.00
शेष जो ठेकेदार को देय है	30,400.00
अन्य मदों जैसे विश्राम गृह के लिए फर्नीचर, गद्दे बिजली के सामान के लिए	23,715.00
कुल =	2,87,431.00

लगातार..4...

उपरोक्त राशि के व्यय के स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जानी अनिवार्य है अतः उप निदेशक द्वारा व्यय की गई उपरोक्त राशि अनियमित है
नोट :- यद्यपि निदेशक सैनिक कल्याण के पत्र सं7-29-सोलन/86-एस0डब्लयू डी0, दिनांक 3 जून, 1990 द्वारा निम्न राशि स्वीकृति की गई थी परन्तु अध्यक्ष, जिला कल्याण सोलन की अनुमति नहीं ली गई था :-

(ए) बिजली फीटिंग 20870.00
(बी) विशेष मुरम्मत 65220.00

7. विश्राम गृह निधि से, अनियमित 13642/-रू0 की राशि का भुगतान।

श्री आर0आर0 वर्मा ने अपने कार्यकाल में विश्राम गृह निधि से अपने कार्यालय के टैलिफोन, बिजली बिल व अन्य मुदों पर 13642/-रू0 की राशि का अनुचित भुगतान किया है राशि का पूर्ण ब्यौरा निम्न है :-

दिनांक	विवरण	राशि
1.5.89	कृष्ण देवी को वेतन	738.00
17.5.89	टैलिफोन बिल	694.00
19.7.89	-यथोपरि-	1703.00
19.7.89	कार्यालय को टिकटें	1000.00
29.7.89	टेलिफोन बिल	3897.00
7.9.89	कृष्णा देवी को वेतन	240.00
30.11.89	-यथोपरि-	230.00
16.11.84	टेबल गलास	85.00
27.11.89	कोर्ड शीट कार्यालय को	90.00
13.12.89	टेलिफोन बिल	990.00
13.12.89	कृष्णा देवी का वेतन	220.00
20.12.89	वारफोन क्रय हेतु	1127.00
4.1.90	कृष्णा देवी का वेतन	240.00
5.1.90	कार्यालय का बिजली बिल	82.00
22.2.90	कृष्णा देवी का वेतन	240.00
22.2.90	बिजली बिल	522.00
4.9.90	-यथोपरि-	186.00
23.10.89	-यथोपरि-	156.00
11.1.91	कृष्णा देवी का वेतन	1202.00
	कुल	13642.00

इस राशि को व्यय करने के लिए अध्यक्ष की स्वीकृति भी नहीं ली गई थी अतः इस राशि को तुरन्त कार्यालय कन्टीनजैंसी आकस्मिक राशि से वापिस लौटाया जावे अन्यथा श्री आर0आर0 वर्मा, उप निदेशक से वसूल किया जावे ।

लगातार..5..

191

8. श्री एस0एस0 चौहान, भूतपूर्व उप-निदेशक द्वारा विश्राम गृह के आवास का किराया न देना तथा जाली आवास भत्ता की वसूली ।

श्री एस0एस0 चौहान, भूतपूर्व उप-निदेशक को विश्राम गृह में सरकारी आवास की सुविधा थी जिसके लिए 70/-रू0 प्रतिमासस्टैण्डर रैंट दिया जाना चाहिए था परन्तु उन्होंने न केवल स्टैण्डर रैंट की अदायगी नहीं की अपितु आवास भत्ता भी प्राप्त करते रहे ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

स्टैण्डर रैन्ट की वसूली

§1§ विश्राम गृह के एक सैट में 26.7.84 से 14.4.86 तक का किराया ।	-	728.00रू0
§2§ सरकारी आवास जो कि विश्राम गृह का भाग है का 15.4.86 से 7/88 तक का किराया 70/-प्रति माह की दर से ।		2100.00रू0
	कुल	2828.00रू0

कुल राशि का भुगतान उन द्वारा किया गया -	2161.00रू0
§जिसमें 1561/रू0 स्थानान्तरण होने पर 10/88 को दिए गए ।	
शेष राशि जो वसूल की जानी है	667.00रू0

इसके अतिरिक्त 4754/-रू0 उन्होंने आवास भत्ता के रूप में अवैध रूप से वसूल किए :-

मास	राशि
7/84	42.60
8/84 से 12/84	443.50
1/85 से 12/85	1110.00
1/86 से 12/86	1110.00
1/87 से 2/87	192.50
3/87 से 2/88	1152.00
3/88 से 5/88	288.00
6/88 से 7/88	304.00
आवास भत्ता का बकाया	112.00
रू0	4754.60

192

इस प्रकार श्री चौहान जो वर्तमान में उप निदेशक सैनिक कल्याण नाहन में तैनात हैं ने अपने पद का दुरुपयोग कर अपने पक्ष में 4754/-रू0 की राशि का गलत भुगतान किया है अतः इस समस्त राशि को तुरन्त वसूल किया जावे तथा गलत भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

9\. श्री एस0एस0 चौहान, भूतपूर्व उप-निदेशक द्वारा अनियमित भुगतान।

{1} दिनांक 30.12.87 को नीलम फर्नीचर सोलन को 3944/-रू0 का भुगतान विभिन्न वस्तुएं क्रय करने को किया गया इसमें से 741.45 रू0 का भुगतान इस प्रकार किया गया :-

49 खिड़कियों के शीशे अलग-2 प्रकार के	14.50 प्रति शीशा	710.50
	टैक्स	31.25
	कुल	741.75

उपरोक्त क्रय किए गए शीशों को खिड़कियों में लगाया गया बताया है परन्तु न तो यह शीशे स्टाक पंजिका में दर्ज किए गए तथा न ही यह बताया गया कि इन्हें किन-2 खिड़कियों में लगाया गया किसी भी कर्मचारी द्वारा यह सूचना नहीं दी गई थी कि कितने शीशे कहां-2 लगने हैं अधिकारी द्वारा स्वयं ही क्रय करके वाउचर पर ही यह लिखना कि खिड़कियों में सभी शीशे लगाए गए हैं इस बात का सन्देह उठाता है कि वास्तव में शीशे क्रय भी किए गए थे या नहीं? क्रय नियमों के अनुसार किसी अन्य कर्मचारी द्वारा इन्हें स्टाक पंजिका में दर्ज कर लगवाए जाने चाहिए थे, तथा तदउपरांत इसका सत्यापन अधिकारी द्वारा किया जाना था। अतः इस क्रय के उपयोग को नियमानुसार न करने पर क्रय की वास्तविकता सुनिश्चित की जानी अनिवार्य है। अतः इस बारे उच्च अधिकारी आवश्यक कार्यवाही कर के ठीक स्थिति से इस विभाग को सूचित करें।

{2} इसी प्रकार दिनांक 2.6.88 को 280/-रू0 की राशि का भुगतान नायक राम होटल वाले को भोजन के लिए किया गया दिखाया गया है भोजन भूतपूर्व सैनिकों को खिलाया गया बताया गया है।

सर्वप्रथम तो भूतपूर्व सैनिकों को भोजन खिलाने का कोई औचित्य नहीं साथ ही कितने और किस-2 को खाना खिलाया गया के बारे में कोई प्रमाण नहीं है अतः या तो इस खर्च का औचित्य बताया जाए अन्यथा इसे दोषी से वसूल किया जाए।

{3} स्टाक पंजिका की जांच से पता चला कि समय-2 बिजली की ट्यूब-चोक क्रय की गई दिखाई गई है परन्तु स्टाक पंजिका पर केवल {यूज्ड} used प्रयोग की गई लिखा है इस न्यु सामान को किसने प्रयोग किया तथा कहां पर लगाया गया कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं था इस सामान के क्रय के बारे में उच्च अधिकारी यह देखने का कष्ट करें क्या वास्तव यह सामान खरीदा गया तथा इस का सही प्रयोग हुआ था

नहीं यदि ऐसा न हुआ हो तो इस विभाग को सूचित करते हुए इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करें ।-नियमानुसार बदली गई सामग्री का भी लेखा रखा जाना अनिवार्य था । क्रय की गई सामग्री का विवरण निम्न है,

स्टाक पंजिका के पृष्ठसंख्या	सामग्री का ब्यौरा ।	क्रय की तिथि	राशि
38	टयूब		
.	.	22. 1. 87	30. 00
.	.	13. 4. 87	30. 00
.	.	25. 8. 87	30. 00
.	.	26. 9. 87	30. 00
.	.	8. 10. 87	30. 00
.	.	9. 10. 87	30. 00
.	.	16. 12. 87	30. 00
.	.	13. 1. 88	30. 00
.	.	14. 12. 88	30. 00
73	.	27. 6. 88	30. 00
73	.	3. 8. 88	60. 00
59	.	30. 9. 89	30. 00
.	चौक	22. 1. 87	38. 00
.	.	9. 10. 87	43. 00
.	.	11. 12. 87	78. 00
.	.	3. 1. 88	39. 00
.	.	14. 12. 88	47. 00
.	.	27. 6. 88	47. 00
	.	30. 9. 88	39. 00
		कुल	721. 00

10. श्री बलदेव वर्मा, लिपिक व श्री बलदीप राज अधीक्षक द्वारा कम किराया की अदायगी ।

वर्तमान में इस कार्यालय के दो कर्मचारियों श्री बलदेव वर्मा, लिपिक व श्री बलदीप राज अधीक्षक को आवास सुविधा प्रदान की गई है, सरकारी आदेशों के अनुसार नवम्बर, 88 से स्टैण्डर रैण्ट के दरों को बढ़ाया गया था जो इस प्रकार थी:-

श्रेणी I — 22/-रु प्रति मास
श्रेणी II — 47/-रु प्रति मास

परन्तु उपरोक्त कर्मचारी किराया इस प्रकार दे रहे थे :-

श्री बलदेव लिपिक — 25/- रु प्रतिमास
श्री बलदीप, राज — 40/-रु प्रतिमास

लगातार.. 8...

अत: किराए के 758/- जो कि कम वसूल किए गए है को उक्त कर्मचारियों से वसूल किया जावे,

कर्मचारी का नाम	किराया दिया गया	देय किराया	अवधि	कम प्राप्ति।
श्री बलदेव राज	25/-	47/-	11/88 से 4/91	660.00
श्री बलदीप राज	40/-	47/-	3/90 से 4/91	98.00
			कुल	758.00

तथा 5/91 से उपरान्त भी निर्धारित दरों पर वसूली की जावे।

11. भूतपूर्व किरायेदार श्री एम०एस० सब्बर से किराया वसूली में लापरवाही फलस्वरूप 3619/-रू० का न वसूला जाना।

श्री एम०एस० सब्बर जिन्हें, उप-मण्डलीय अधिकारी की अदालत द्वारा आवास छोड़ने के आदेशों के फलस्वरूप आवास खाली करना पड़ा था तथा 3619/-रू० की किराए की वसूली (अवधि 1.5.80 से 31.1.86 तक) की जानी थी परन्तु किसी भी उप-निदेशक द्वारा इसकी वसूली के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किए गए अधिकारीयों की लापरवाही के कारण इस राशि की प्राप्ति न हो सकी इसलिए तुरत कार्यवाही की जावे ताकि राशी की वसूली की जावे।

12. डाकघर द्वारा कम ब्याज की अदायगी:-

इस निधि की बचत खाता में जमा राशि पर केवल 3% दर से वार्षिक ब्याज दिया गया है बचत खातों पर जबकि 5% दर से ब्याज दिया जाता है, तथा इससे पूर्व भी 5% की दर से ही ब्याज दिया गया था।

डाकघर अधिकारियों से सम्पर्क किया जावे तथा उचित ब्याज जो कि 5% दर से मिलना था को लगाया जावे विवरण निम्न है:-

वर्ष	5% का दर से दिया जाने वाला ब्याज	3% दर से दिया गया ब्याज	कम ब्याज की अदायगी
87-88	3469.00	2089.00	1380.00
88-89	2348.00	1396.00	952.00
			कुल रू2332.00

13 बिनाकारण खातों को एक बैंक से दुसरे में बदलना

खातों में इस प्रकार से बदला गया:-

दिनांक	राशि निकाली	जमा की गई
20.6.89	डाकघर से	सैन्ट्रल बैंक
22/8/89	सैन्ट्रल बैंक से	युनियन बैंक आफ इण्डिया
1/90	युनियन बैंक	स्टेट बैंक आफ पटियाला

लगातार...9...

खातों को बिना कारण एक से दूसरे बैंक को स्थान्तरण करना अनुचित था इस क्रिया को करने की अध्यक्ष से अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई थी ।

14. राशि को बैंक में जमा न करना :-

काफी लम्बी अवधि तक राशि को बैंक में जमा नहीं किया जाता रहा है अंकेक्षण अवधि में 4/90 से चली आ रही रु0303.95 की राशि को 5/91 यानि एक वर्ष उपरान्त लेखा अधिकारी द्वारा जमा करवाया गया इस प्रकार का आचरण नियमों के विपरीत है :-

हाथ में रखी राशि का विवरण

दिनांक	राशि
1/90	1097.85
2/90	4073.80
3/90	4273.35
4/90 से 5/91	303.95

15. निवेश पूंजी को अवधि से पहले ही निकालना फलस्वरूप ब्याज की क्षति :-

(क) जांच से ज्ञात हुआ है कि (फीक्स डिपोजीट) निवेश पूंजी को निर्धारित अवधि से पहले ही भुना दिया गया है जिसके फलस्वरूप ब्याज के रूप में प्राप्त की जाने वाली राशि प्राप्त नहीं हो सकी कई बार तो केवल एक माह तक की प्रतीक्षा भी नहीं की गई इसलिए ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि जो कि रु 1033/- बनती है को दोषी से वसूल किया जावे :-

…पि से पहले …जाने की …थि।	राशि	जमा करने की तिथि	देय तिथि	ब्याज जो प्राप्त होना था	ब्याज प्राप्ति	कम ब्याज की प्राप्ति
…89	53051.80	13.7.89	12.10.89	1046.00	651.00	395.00
…89	50000.00	6.5.89	5.8.89	986.00	493.00	493.00
…89	15274.00	2.6.89	1.9.89	448.00	303.00	145.00
					कुल =-	1033.00

(ख) ब्याज प्राप्त न करना :

सैन्ट्रल बैंक सोलन में राशि को 20.6.90 से 11/90 तक रखा गया, परन्तु इस अवधि के लिए बैंक से कोई भी ब्याज प्राप्त नहीं किया गया।

16. श्री चौहान के आवास गृह के बिजली व पानी के बिलों का भुगतान :-

श्री एस0एस0 चौहान, भूतपूर्व उप- निदेशक ने आवास गृह छोड़ने के उपरान्त आवास के पानी व बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया इन बिलों की अदायगी वर्तमान उप-निदेशक ने विश्राम गृह निधि से की है, जो कि अनुचित है इस राशि को एस0एस0 चौहान से वसूल किया जावे विवरण इस प्रकार है :-

दिनांक	राशि	विवरण
20.2.90	207.00	पानी का बिल [illegible] रु.. 10 ..

196

16.4.90 150.75 बिजली का बिल

कुल राशि 357.75 रु0

17. श्री आर0आर0 वर्मा, उप-निदेशक के कार्यकाल में अनियमित, भुगतान

इस निधि से निम्न भुगतान में अनियमितताएं पाई गई :-

§1§ दिनांक 24.7.89 को अमर इण्डस्ट्रीज सोलन को 1500/-रु0 का भुगतान किया गया। इस राशि का भुगतान विश्राम गृह में गेट§फाटक§ लगाने को किया गया परन्तु क्रय में निम्न अनियमितताएं पाई गई :-

§क§ क्वुटेशन स्वंय एकत्र की गई ।

§ख§ क्वुटेशन पर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया कि गेट का साईज क्या होगा, गेट लकड़ी व लोहे का होगा ।

§ग§ फलस्वरूप, बिल पर भी गेट के आकार व साईज प्रकार यानी की लकड़ी का था व अन्य किसी धातू का कुछ भी नहीं लिखा था ।

§घ§ गेट को कहां पर लगाया गया ?

उपरोक्त अनियमितताओं से स्पष्ट है कि गेट को मार्केट से कम से कम कीमत पर क्रय करने का प्रयत्न नहीं किया गया, जो कि क्रय नियमों के विपरीत है इस का औचित्य ठहराया जाए या फिर इस बारे में उच्च अधिकारी जो उचित कार्रवाई हो करें और इस कार्यलय को भी की गई कार्रवाई से सूचित करें।

18. 3150/-रु0 की राशि का भुगतान दिनांक 16.8.89, नवजीवन कारपेन्टरी समिति

इस राशि का भुगतान विश्राम गृह को फर्नीचर क्रय करने हेतु किया गया बिल इस प्रकार से है :-

	संख्या	दर	राशि
लान कुर्सी सफेद केन	6	450/-	2700.00
सफेद केन मेज	1	450/-	450.00
		कुल	3750.00

क्रय में निम्न अनियमितताएं पाई गई :-

§क§ क्वुकोटेशन स्वंय प्राप्त की गई जिसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि कोटेशन पर फर्नीचर का आकार व गुणवत्ता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था ।

§ख§ कोटेशन केवल मात्र दिखावा था क्योंकि इस राशि का भुगतान 16.8.87 को हो चुका था तथा बिल भी इसी तिथि को जारी किया गया था, परन्तु डायरी पंजिका के क्रय संख्या 964, 965, 966 के अनुसार यह कोटेशन 19.8.89 को प्राप्त की दिखाई गई है ।

अतः क्रय को मार्केट के कम से कम कीमत पर क्रय का किया जाने का प्रयत्न नहीं किया गया तथा क्रय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है ।

19. दिनांक 28.2.89 को गीजर के क्रय को 3967/-रु0 का भुगतान:-

उपरोक्त राशि का भुगतान 2 गीजर क्रय करने को किया गया, परंतु बिल पर गीजर के आकार व किस कमानी से बना है का कोई भी विवरण अंकित नहीं था

लगातार..11..

तथा न ही कोटेशन आमन्त्रित की गई थी क्रय के सत्यापन की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं ।

20. <u>सिमेंट का क्रय, 225/-रु0 का भुगतान:-</u>

वाउचर संख्या 118-ए द्वारा दिनांक 15.11.89 को 3 बैग सिमेंट खरीदे गए परन्तु न ही तो इसे स्टाक पंजिका में दर्ज किया गया और न ही इसका उपयोग दिखाया गया है इसलिए इस राशि को तुरन्त वापिस वसूल किया जावे ।

21. <u>वाउचर संख्या 79, दिनांक 14.9.89, 116/-रु0 का भुगतान:-</u>

इस राशि का भुगतान बमोते व गुलाब जामन खरीदने को किया गया यह भी नहीं बताया गया कि इसे क्यों खरीदा गया मिठाईयों की खरीद इस निधि से अनियमित है अतः राशि को अधिकारी से वसूल किया जावे ।

22. वाउचर सं0 89, दिनांक 30.9.89.

विजय फर्नीचर से पुराना फर्नीचर की मुरम्मत के लिए 625/- रु0 व्यय किए गए परन्तु कोई भी विवरण नहीं दिया गया कि मुरम्मत वाला फर्नीचर कब क्रय किया था विश्राम गृह के चौकीदार व अन्य सम्बन्धित कर्मचारी को इसका कोई ज्ञान नहीं था कि कब और कौन सा फर्नीचर रिपेयर किया गया था वास्तव में सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सर्वप्रथम रिपोर्ट ली जानी चाहिए थी तथा मुरम्मत के बाद इसकी पुष्टि की जानी अनिवार्य थी ।

23. <u>वाउचर संख्या 117, दिनांक 7.11.89:-</u>

224/-रु0 की राशि का भुगतान किशोर स्टूडियो को फोटो खींचने के लिए किया गया इस कार्य को राशि का भुगतान अनुचित था इसलिए राशि को वापिस वसूल किया जावे ।

24. <u>बिजली के उपकरणों का क्रय:-</u>

समय -2 पर बिजली के उपकरणों का क्रय किया गया परन्तु इन उपकरणों का प्रयोग किसने और कहां किया गया के बारे में कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं था इसी अवधि में जबकि बिजली की फिटिंग का अलग से पूर्ण कार्य सम्पन्न किया गया था, फिर भी इतनी राशि के उपकरणों की क्यों आवश्यकता पड़ी इन उपकरणों के उपयोग के सत्यापन की पुष्टि नहीं हो सकी :-

दिनांक	राशि
8.3.89	292.00
20.11.89	650.50
1.1.90	470.00
कुल	1412.50 रु0

सिलाई केन्द्र का स्थानान्तरण सामती से कयार को किया गया इसके सामान को उठाने का किराया इस प्रकार दिया गया:-

लगातार..12..

-198-

वाउचर संख्या	दिनांक	राशि	जिसको किराया दिया	विवरण
155	28.10.89	150.00	रूप दत्त	सामती से क्यार
142	21.10.98	70.00	राम सिंह	स्युथंम से सामती

जबकि केन्द्र सामती से क्यार को स्थानान्तरण किया गया तो स्युथंम से सामती को कौन सा सामान लाया गया अतः स्युथंम से सामती को दी जाने वाली राशि गलत है इसकी वैधता का स्पष्टीकरण दिया जावे अन्यथा राशि को तुरन्त वापिस वसूल किया जावे

25. कैश हाथ में :-

काफी लम्बी अवधि तक काफी बड़ी राशि को बैंक में जमा नहीं रखा गया इतनी बड़ी राशि को हाथ में रखना अनुचित है राशि को जमा न करने का स्पष्टीकरण दिया जावे :-

दिनांक	राशि जो बैंक में जमा नहीं की गई
11/89	623
12/89	572
1/90	1225
2/90	2156
3/90	2798
4/90	5208
5/90	4692
6/90	697
7/90	922
8/90	1543
9/90	799
10/90	133.70
11/90	1057.00
12/90	1879.00
1/91	1308.00
2/91	2156.00
3/91	3102.00

भविष्य में राशि को कैश न रखा जावे

26. कम किराए की वसूली :- सचिव एवं आयुक्त वित्त के पत्र संख्या= वित्त-सा 3-2/83, दिनांक 23 अप्रैल, 1988 के द्वारा पांच वर्षों के उपरांत 10% किराया वृद्धि के आदेश जारी किए गए है।

इस पत्र के अनुसार, विश्राम गृह के भवन जो रोजगार कार्यालय व लोक निर्माण विभाग को किराए पर दिए गए हैं से भी 5/88 से 10% अधिक दर किराया प्राप्त किया जाना चाहिए था। इसलिए इस वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त की जाने वाली

लगातार..13..

 -199-

राशि 1882/-रु0 जिसका विवरण निम्न है को वसूल किया जावे:-

कार्यालय	अवधि	अधिक किराया	राशि
रोजगार कार्यालय	5/86 से 2/91	43/-प्रतिमास	43x34 =1462
लोक सम्पर्क विभाग ।	5/88 से 2/89	42/- "	42x10 420
§2/89 के उपरान्त किराया§ प्राप्त किया जा चुका है		कुल	1882/-

27. विश्राम गृह पंजिका में सन्देहजनक प्रविष्ठयां फलस्वरूप 687/-राशि का घोटाला ।

विश्राम गृह के नियमानुसार उस यात्री से 3/-रु0 अतिरिक्त राशि वसूल की जाती है जिसको विश्राम गृह द्वारा बिस्तर प्रदान किए जाते हैं नीचे दी गई तालिका के अवलोकन से पता चलता है कि श्री एस0एस0 चौहान, उप-निदेशक के कार्यकाल अवधि 4/87 से 8/88 तक लगभग 60% यात्री बिस्तरों को साथ लाए थे ब्यौरा निम्न है :-

अधिकारी का नाम	जितने यात्री अपने बिस्तरों के साथ ठहरे बताए	जितने यात्री अपने बिस्तरों के बिना बताए गए ।
1. श्री एस0एस0चौहान	229	159
2. श्री आर0आर0 वर्मा अवधि 2/89 से 3/91.	7	2706

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि श्री चौहान के स्थानान्तरण के बाद 2735 यात्रीयों में से केवल 7 यात्री अपना बिस्तर लेकर आए थे ।

श्री चौहान उप-निदेशक के कार्यकाल में 388 यात्रीयों में से 229 यात्री अपने बिस्तरों के साथ ठहरे बताए जाना यह सन्देह प्रकट करता है कि इन यात्रीयों को 3/- प्रति व्यक्ति राशि की प्राप्ति न कर छूट दी गई यानी के पंजिका में चौकीदार द्वारा गलत प्रविष्ठीयाँ की गई तथा प्रत्येक व्यक्ति को बिस्तर के साथ ठहरा बता कर 3/- की छूट किसी विशेष निजि हित में दी गई । श्री चौहान के कार्यकाल में विश्राम गृह से बहुत ही कम आय प्राप्त हुई जिसका प्रमुख कारण उनकी अकुशलता है क्योंकि चौकीदार व विश्राम गृह का कभी निरिक्षण नहीं किया गया फलस्वरूप, इस कार्यकाल में लगभग 60% यात्रियों से बिस्तर का किराया वसूल नहीं किया गया वर्तमान में लगभग सभी यात्रीयों से बिस्तर का किराया लिया गया है जो इस बात का सूचक है कि लगभग सभी बिना बिस्तर के विश्राम गृह में ठहरते हैं अस्थाई रूप से तैनात चौकीदार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता अत: श्री चौहान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जावे तथा 229 यात्री जो बिस्तर के साथ ठहरे बताए गए है का 229x3=687/-रु0 वसूल किए जावे क्योंकि श्री आर0आर0 वर्मा नए उप निदेशक के आने पर पूर्ण कुशलता से कार्य किया गया फलस्वरूप 2706 यात्रियों में से केवल 6 यात्री ही अपना बिस्तर लेकर आए थे जो कि स्पष्ट तस्वीर है कि गत वर्षों में प्रविष्ठयां गलत होती रही हैं ।

लगातार...14..

झण्डा दिवस निधि:-

28. **आर्थिक सहायता बिना स्वीकृति के :-**

निम्न भूतपूर्व सैनिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई परन्तु अध्यक्ष /उपायुक्त की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी वास्तव में आर्थिक सहायता जिला कल्याण बोर्ड से स्वीकृत की जानी चाहिए थी अतः राशि की अदायगी अनियमित है:-

दिनांक	नाम	राशि
26.8.89	श्री लाल सिंह	300.00
28.2.89	श्रीमति कैरों देवी	300.00
28..2.89	" मालती देवी	300.00
14.9.89	श्री हीरा सिंह	300.00
-यथोपरि-	श्री विकास	300.00
19.10.89	श्री जै लाल	300.00
21.1.91	श्री मंगत राम	500.00
	कुल राशि	2300.00 रु0

आर0 आर0 निधि:-

29. **छात्रवृत्तियों की अनियमित अदायगी :-**

इस निधि से भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति दी जाती है छात्रवृति प्रदान करने की निम्न शर्तें हैं :-

1. केवल एक बच्चे को एक समय में छात्र वृति दी जावेगी तथा समस्त काल में एक सैनिक के 2 बच्चों को प्रदान की जावेगी ।
2. केवल उसी छात्र जो कम से कम 40% अंक लेकर गत परीक्षा में उतीर्ण हुआ हो ।
3. तथा जिसकी आय सभी साधनों (पैंशन को मिलाकर) 6000/-रु0 वार्षिक हो

परन्तु प्रायः देखा गया है कि इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं बनाया गया जिससे यह पता लग सके कि पूर्ण काल में एक सैनिक को 2 बच्चों से अधिक को छात्रवृति नहीं दी गई ।

आय को पटवारी द्वारा प्रमाणित किया गया परन्तु प्रमाण। पत्र की काट-छांट की गई है आवेदन पत्र को पूरी तरह भरा नहीं गया है इन कमियों के बावजूद भी छात्रवृति प्रदान की गई निम्न उदाहरण है जिन्हें अनुचित छात्रवृति दी गई इसलिए इन राशि को वापिस वसूल किया जावे :-

(क) दुर्जेन्द्र सिंह पुत्र श्री सीस राम छात्र आई0टी0 आई0 सोलन को 600/-रु0 की अदायगी वर्ष 1987-88 के लिए:-

इस आवेदन पत्र पर वार्षिक आय को 9000/-रु0 से काटकर 6000/- किया गया है क्योंकि शब्दों में अभी भी पटवारी का लिखा गया "नौ हजार" स्पष्ट दिखता है इस जाली प्रमाण पत्र को कार्यालय द्वारा स्वीकार कर अनदेखी की गई अतः राशि की वसूली की जावे।

लगातार... 15...

201-

(ख) नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल छात्र आई०टी०आई० सोलन, 400/-रू० की अदायगी वर्ष 87-88 :-

इस आवेदन पत्र की प्रमाणित वार्षिक आय को 8000/-रू० की जगह 5000/-रू० किया गया है।

(ग) विना रानी पुत्री श्री बचित्तर सिंह बी०ए० द्वितीय वर्ष नालागढ़ 600/-वर्ष 88-89.

इस आवेदन पत्र की प्रमाणित 8700/-रू० की राशि को काट कर 5700/-रू० किया गया

उपरोक्त सभी जाली प्रमाण पत्र के बावजूद दी गई राशि को सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से वसूल किया जावे।

(घ) ~~श्री~~ राकेश कुमार पुत्र श्री पूरना नन्द छात्र बी०एस०सी० द्वितीय वर्ष महाविद्यालय शिमला, 600/-रू० की अदायगी वर्ष 90-91.

श्री पूरना नन्द सरकारी सेवा में कार्यरत है, अतः उन्होंने झूठा प्रमाण पत्र देकर अपनी आय को 2500/-वार्षिक दिखाया है वास्तविकता की छानबीन अति आवश्यक है इसकी पुष्टि के बाद आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए और की गई कार्रवाई से इस विभाग को सूचित किया जाए।

(ङ) जगमोहन पुत्र श्री भीखम सिंह, छात्र बी०~~एस०सी०~~ (एम०सी०) प्रथम वर्ष महाविद्यालय शिमला 600/-रू० की अदायगी वर्ष 90-91.

आवेदन पर आय 3500/-वार्षिक प्रमाणित की गई है, परन्तु पैंशन से प्राप्त आय का कोई विवरण नहीं है भीखम सिंह से प्राप्त पैंशन का प्रमाण लिया जावे अन्यथा राशि को वापिस वसूल किया जावे।

(च) उमा ठाकुर पुत्री श्री नन्द राम छात्र बी०ए० प्रथम वर्ष, स्पाटू 600/-रू० की अदायगी वर्ष 89-90.

यह छात्रा वर्ष 1986 में अनुतीर्ण रही फिर भी इसे छात्रवृति दी गई अतः राशि को वापिस वसूल किया जावे क्योंकि अनुतीर्ण छात्र को छात्रवृति नहीं दी जा सकती।

30. अनुचित व्यय :- निम्नलिखित राशि का भुगतान कार्यालय सम्बन्धित मदों पर किया गया इसका भुगतान कार्यालय कान्टीन्जैंसी से होना था इसलिए इस निधि से किया गया व्यय अनुचित है इस राशि को शीघ्र वापिस लौटाए जावे :-

दिनांक	विवरण	राशि
28.11.90	डाक टिकटें	500.00
29.12.90	लेखन सामग्री	500.00
9.1.91	बिजली बिल	152.00
23.1.90	फर्नीचर की मुरम्मत	800.00

(विभाग गृह निधि से किया जाना था)

लगातार... 16..

3. 10. 89	वेतन कृष्णा को	240. 00
1. 8. 89	-यथोपरि-	240. 00

कुल राशि 2432. 00

31. बिना स्वीकृति के व्यय:- बिना पूर्व स्वीकृति के निम्नलिखित व्यय किया गया नियमानुसार इस व्यय की स्वीकृति निदेशक/सैनिक कल्याण बोर्ड से ली जानी अनिवार्य है अतः इस व्यय की "एक्स पोस्ट फैक्टो" अनुमति प्राप्त की जावे ।:-

दिनांक	राशि	विवरण
21. 5. 90	6000. 00रू	सिलाई केन्द्र को मशीने वगैरा क्रय हेतु
25. 5. 90	4000. 00रू	-यथोपरि-
1. 6. 90	200. 00रू0	केन्द्र बदलने पर व्यय
7. 7. 90	100. 00	-यथोपरि-
7. 3. 91	3000. 00रू	सिलाई ~~मेरेर~~ मशीन क्रय हेतु
12. 3. 91	2000. 00	-यथोपरि =
4/91	3061. 00	-यथोपरि-

32. सिलाई मशीनों की मुरम्मत:-

सिलाई केन्द्रों से सम्बन्धित सिलाई मशीनों की मुरम्मत बार-2 , करवाई गई परन्तु मुरम्मत करवाने से प्रथम सिलाई केन्द्रों के शिक्षकों द्वारा कोई भी सूचना नहीं थी कि उनकी सिलाई मशीन खराब हुई थी, न ही मुरम्मत बिलों पर विवरण था कि कौन सी मशीन ~~के~~ मुरम्मत की गई । मुरम्मत बिलों को भी सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया कि वास्तव में मुरम्मत हुई थी या नहीं

फलस्वरूप मुरम्मत की वास्तविकता/सत्यता पर सन्देह होना स्वाभाविक है भविष्य में कोई भी मुरम्मत करवाने से पहले उपरोक्त कार्यवाही की जावे:-

दिनांक	राशि	विवरण
18. 8. 87	305. 00	----
18. 8. 87	106. 00	एकता सिविंग ~~मैसिन~~ मशीन कम्पनी
28. 9. 87	249. 00	स्वरूप मेकेनिकल
15. 3. 88	357. 00	एकता सिविंग मैशिन्ज
18. 7. 88	145. 00	--यथोपरि--
13. 2. 89	115. 00	--यथोपरि---
31. 3. 89	744. 00	~~55~~-यथोपरि---
20. 9. 89	249. 00	--यथोपरि---
1. 10. 90	278. 00	---यथोपरि--
1. 1. 90	278. 00	--यथोपरि---

अनुचित भुगतान :-

33. (क) दिनांक 30. 3. 88 को रू 35. 15 जलपान पर व्यय किए गए दिखाए गए

265

है, परन्तु किसे और क्यों जलपान करवाया गया का विवरण उपलब्ध नहीं था अतः राशि की अदायगी अनुचित थी राशि को अधिकारी से वापीस वसूल किया जावे ।

(थ) दिनांक 11.4.89 को 470/-रू0 की दो दरियां क्रय की गई थी परन्तु दरियों का आकार व गुणता का कोई भी हवाला नहीं था अतः पंजिका में भी दरियों को बिना आकार के दर्ज किया गया है अतः क्रय अनुचित था ।

(न) दिनांक 13.6.90 को 900/- की राशि बतौर छात्रवृत्ति, उच्चतर विद्यालय नालागढ को दी गई रसीद अभी तक प्राप्त नहीं की गई अतः राशि के भुगतान का सत्यापन नहीं हो सका।

34. विश्राम गृह के निर्माण कार्य में अनियमिततांए :-

विश्राम गृह की मुरम्मत, जिसमें बिजली की फीटिंग दिवारें, सैपटिक टैंक इत्यादि के कार्य सम्पन्न किए गए निर्माण कार्यों पर कुल 2,63,716/-रू0 की राशि का व्यय किया गया है इन 10 विभिन्न कार्यों का श्री गोपाल दास ठाकुर द्वारा निष्पादन किया गया (पूर्ण ब्यौरा परिशिष्ट "ख" पर देखें) इन कार्यों के लिए 2,33,316/-रू0 की अग्रिम राशि दी जा चुकी है शेष राशि 30,400/-रू0 देय है इस राशि को तब तक न दिया जावे जब तक अंकेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान न हो सामान्य रूप से निम्न अनियमितताएं पाई गई :-

1. कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से न तो तकनीकी और न ही प्रशासनिक स्वीकृति ली गई।
2. नियमों के विपरीत ठेकेदार को अग्रिम राशि काफी पहले ही प्रदान की गई
3. नाप पंजिका जो कि एक महत्व पूर्ण रिकार्ड है को नियमानुसार नहीं भरा गया इसमें निम्न कमियां पाई गईं :-

1. नाप-प्रविष्ठियां पंजिका में दर्ज न कर अलग-2 कागजों पर दर्ज की गई ।
2. इसमें अभियंता के अपने हाथों द्वारा लिखा जाना चाहिए था ।
3. टाईप की गई प्रविष्ठयों में अभियन्ता ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए है । जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त अभियंता न ही यह प्रविष्टयां दर्ज की है यद्यपि भुगतान बिलों का सत्यापन श्री जी0के0 अग्रवाल ने किया है जिससे यह साबित होता है कि प्रविष्ठयां भी उन्होंने ही दर्ज की है, इसलिए इन सभी पन्नों को एक पंजिका बनाया जावे तथा समस्त प्रविष्ठयों को पुनः रिकार्ड कर नियमित पंजिका पर तैयार किया जावे ।

अतः सहायक अभियंता श्री जी0 के अग्रवाल जो कि उस समय सहायक अभियन्ता जिलाधीश कार्यालय सोलन में तैनात थे द्वारा किए गए समस्त भुगतान बिलों के सत्यापन को मध्य नजर रखते हुए बशर्ते की नाप पंजिका की प्रविष्ठयों को सहायक अभियन्ता द्वारा नियमानुसार बिना परिवर्तन के भरा जावे इन कार्यों को जांच कि जातीहै:-

(क) अधिक प्रीमीयम का देना व 4394/-रू0 की राशि की अधिक अदायगी :-

टैण्डर की शर्तों के अनुसार प्रीमीयम को "शड्युल आफ रेट" से 10% अधिक देय था परन्तु टैण्डर में "कास्ट इन्डैक्स" को पहले ही जोडा गया था यद्यपि टैण्डर

 -204-

आमंन्त्रित करने का यह तरीका अनुचित व नियमों के विपरीत है फिर भी प्रीमीयम की केवल "स्ड्यूल आफ रेट" के मूल्यों पर ही दिया जाना था समस्त बिलों में की गई अधिक अदायगी का पूर्ण विवरण निम्न है :-

वाउचर संख्या	दिनांक	प्रीमीयम%	जिस राशि पर दिया गया	जिस राशि पर देय था	अधिक भुगतान
94	5/91	10%	10765/-	8612/-	रू215.00
99	5/91	12%	41478/-	30725/-	रू 1290/00
100	5/91	10%	3258/-	2413/-	रू 85.00
102	5/91	10%	64821/-	48016/-	रू1681.00
103	5/91	15%	15913/-	8431/-	रू1123.00
				कुल रू0	4394.00

﴾ख﴿ बिलों में पत्थरों की ढुलाई की गलत मद देकर अधिक भुगतान:-

निम्नलिखित बिलों में जिसके द्वारा रिटेनिंग दिवार का कार्य करवाया गया है, में पत्थरों की ढुलाई का अलग भुगतान किया गया है स्ड्यूल रेट पर आमन्त्रित टेण्डरों में ढुलाई से कोई सम्बन्ध नहीं है ठेकेदार को स्ड्यूल पर अंकित मद पर किए गए कार्यों को स्ड्यूल पर अंकित मूल्यों पर राशि प्रदान की जाती है न कि उस पर लगी सामग्री के क्रय पर अतः यह ठेकेदार की जिम्मेवारी थी वह पत्थर कहीं से भी किसी भी मूल्य पर प्राप्त करें।

फलस्वरूप ठेकेदार को अधिक लाभ देने का प्रयत्न किया गया जो कि अनुचित है अतः इस प्रकार से दी गई अधिक 9292/-रू0 की राशि को वसूल किया जावे :- विवरण इस प्राकर है :-

वाउचर संख्या	दिनांक	विवरण	जितनी राशि दी गई		
			स्ड्यूल राशि	प्रीमीयम	कुल राशि
95	5/91	पत्थरों की ढुलाई	4025.00	403.00	4428.00
96	5/91	-यथोपरि-	3425.00	343.00	3768.00
97	5/91	-यथोपरि-	717.00	72.00	789.00
98	5/91	-यथोपरि-	279.00	28.00	307.00
				कुल राशि	9292.00

एन0आई0टी0 में भी इस मद को रखा जाना गलत था ठेकेदार से वसूल न हो सकने पर इसे सम्बन्धित अधिकारी से वसूल किया जावे।

﴾ग﴿ आय कर की कटौती न करना व 5040/-रू0 की वसूली :-

निर्माण कार्यों पर भुगतान की गई राशि से आयकर की कटौती अनिवार्य

लगातार...19..

(परिशिष्ट क)

श्री गोपाल दास ठाकुर को दी गई अग्रिम राशी का विवरण

क्रम सख्यां पी0वी0 न0 ठेकेदार का नाम

205

है, जो कि 2.16 की दर से की जानी चाहिए थी जैसा कि 2,33,316/-रू0 की राशि का भुगतान किया जा चुका था अत: 5040/-रू0 आयकर की कटौती की जावे तथा भविष्य में समस्त भुगतान पर भी आयकर काटा जावे ।

35. नाप पंजिका में की गई प्रविष्ठयां सन्देह जनक:-

जैसा कि पहले भी वर्णन किया जा चुका है कि नाम पंजिका को नियमानुसार नहीं भरा गया है, प्रविष्ठयां अलग पन्नों पर टाईप द्वारा अंकित की गई है, प्रविष्ठयों पर रिकार्ड करने वाले अभियन्ता के हस्ताक्षर नहीं थे, प्रविष्ठयां भरने की तिथियां अंकित नहीं की गई थी इत्यादि-2, फिर भी अंकित प्रविष्ठयों की जांच पर अनेकों सन्देहजनक प्रविष्ठयां पाई गई ब्यौरा निम्न है :-

(क) नाप पंजिका पृष्ठ-2, कार्य विश्राम गृह राशि का भुगतान वाउचर सं0 2, दिनांक 5/91।

इस पृष्ठ पर अंकित मद 3 की नाम प्रविष्ठयां स्पष्ट नहीं है इस मद पर 189.25 वर्ग मीटर पर फ्लोरिंग दिखाई गई है परन्तु यह नहीं बताया गया कि किस कमरे व जगह पर यह कार्य किया गया है वास्तविकता को न दिखाने का प्रयत्न किया गया है ऐसी प्रविष्ठयां सन्देह जनक होने पर स्वीकार नहीं की जा सकती इस कार्य पर पी0वी0 स0 102 दिनांक 5/91 को 8025/-रू0 की राशि अदा की गई थी अत: इस राशि को या तो वसूल किया जावे या अभियन्ता इन प्रविष्ठयों के सत्यापन का प्रमाण दें ।

(ख) नाम पंजिका पृष्ठ स06 की मद संख्या 12 द्वारा छत पर 185 किलो सरिया का उपयोग बताया गया है परन्तु इस प्रकार का कोई भी कार्य नाम पंजिका में अंकित नहीं है जिसमें सरिया प्रयोग किया गया हो अत: यह उपयोग जाली प्रतीत होता है इस कार्य पर वाउचर सं0 102, दिनांक 5/90 द्वारा 2186/- रू0 अदा किए गए थे इस राशि को तुरन्त वापिस वसूल किया जावे ।

(ग) बिजली फीटींग पर 33282/- रू0 का व्यय:-

पूरे विश्राम गृह की बिजली की फिटिंग दोबारा की गई है इस कार्य पर 33282/- रू0 व्यय किए गए है जिसका भुगतान वाउचर सं0 101 दिनांक 5/91 द्वारा किया गया परन्तु इस व्यय को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस कार्य से सम्बन्धित कार्यों को नाप-पंजिका में दर्ज नहीं किया गया है अत: या तो इन कार्यों को किसी विद्युत अभियन्ता द्वारा पूर्ण रूप से नाप-पंजिका में दर्ज करवा कर कार्यों की पुष्टि करवाई जावे अन्यथा इस राशि को दोषी अधिकारी से वसूल किया जावे ।

इस प्रकार पैरा 34 व 35 पर उठाई गई आपत्तियों की कुल राशि जो कि 48937/-रू0 बनती है को तुरन्त वसूल किया जावे ।

लगातार... 20....

208

36. सारांश:- लेखों की स्थिति दयनीय है, समस्त आपत्तियों का निपटारा तुरन्त किया जाना अनिवार्य है भविष्य में राशि को विशेष तथा निर्माण कार्यों पर इस प्रकार से व्यय करने पर रोक लगाना अति आवश्यक हैं।

हस्ता/-
संयुक्त निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(स0प0)स्थ(2)ली(15)14(32)/76-खण्ड-2, दिनांक, शिमला-2, 10 2 NOV
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण, सोलन(हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।
2. निदेशक, सैनिक कल्याण, हिमाचल प्रदेश हमीरपुर जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
3. जिलाधीश, सोलन जिला सोलन, (हि0प्र0)
4. संयुक्त सचिव(समान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
5. श्री विनोद राज गुप्ता, अनुभाग अधिकारी, द्वारा......

संयुक्त निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

....

{परिशिष्ट 'क'}

श्री गोपाल दास ठाकुर को दी गई अग्रिम राशी का विवरण

क्रम संख्या	पी0वी0 नं0 व दिनांक		ठेकेदार का नाम	राशी
1.	19 दिनांक	10.5.89	श्री गोपाल दास ठाकुर	5,000
2.	22 "	23.5.89	"	1,500
3.	28 "	14.6.89	"	5,000
4.	– "	20.6.89	"	5,600
5.	29 "	23.6.89	"	2,000
6.	31 "	29.6.89	"	3000
7.	40 "	18.7.89	"	5,000
8.	43 "	19.7.89	"	15,000
9.	44 "	22.7.89	"	5,000
10.	48 "	24.7.89	"	10,000
11.	55 "	3.8.89	"	4,000
12.	57 "	14.8.89	"	800
13.	59 "	17.8.89	"	5,516
14.	60 "	19.8.89	"	7,000
15.	61 "	24.8.89	"	5000
16.	65 "	25.8.89	"	1,000
17.	66 "	29.8.89	"	3,000
18.	67 "	1. 9.89	"	900
19.	74 "	6.9.89	"	1,000
20.	75 "	11.9.89	"	5,000
21.	76 "	12.9.89	"	1,000
22.	77 "	12.9.89	"	5,000
23.	78 "	12.9.89	"	1,000
24.	81 "	16.9.89	"	2,000
25.	82 "	18.9.89	"	1,000
26.	83 "	18.9.89	"	7,000
27.	84. "	22.9.89	"	2,000
28.	85 "	26.9.89	"	5,000
29.	86 "	27.9.89	"	1,000
30.	90 "	3.10.89	"	1,000

जोड़. 1,16,316

208

31.	91	दिनांक	3.10.89	श्री गोपाल दास ठाकुर	3,000
32.	94	"	5.10.89	"	2,000
33.	95	"	9.1089	"	4,000
34.	96	"	9.10.89	"	3,000
35.	97	"	19.10.89	"	2,000
36.	98	"	21.10.89	"	1,000
37.	106	"	26.10.89	"	4,000
38.	107	"	27.10.89	"	3,000
39.	115	"	3.11.89	"	1,400
40.	118	"	10.11.89	"	2,000
41.	122	"	5.12.89	"	10,000
42.	123	"	9.12.89	"	4,000
43.	133	"	15.12.89	"	4,000
44.	134	"	16.12.89	"	2,000
45.	136	"	20.12.89	"	5,000
46.	137	"	26.12.89	"	4,000
47.	138	"	27.12.89	"	2,500
48.	138.	"	28.12.39	"	5,000
49.	140	"	29.12.89	"	5,000
50.	141	"	30.12.89	"	1,200
51.	143	"	1.1.90	"	1,000
52.	150	"	12. 1.90	"	3,000
3.	151	"	17. 1.90	"	2,000
4.	152	"	23.1.90	"	1,500
5.	153	"	24.1.90	"	3,000
6.	155,ए.	"	20.2.90	"	3,000
	162	"	24.2.90	"	2,000
	163	"	6 .3.90	"	2,000
	164	"	12.3.90	"	1,200
	~~23.4.90~~ 12	"	23.4.90	"	1,000
	13	"	26.4.90	"	6,000
	19.	"	24.5.90	"	4,000
	27,	"	30.6.90	"	4,000
	32.	"	9.7.90	"	2,200
	37.	"	13.7.90	"	3,000
	173	"	12.2.90	"	5,000
	–	"	12.7.90	"	5,000

झण्डा दिवस तिथि से जमा

1,77,000

कुल जोड़ → 2,33,316

परिशिष्ट 'ख'

209-

सैनिक विश्राम गृह सोलन निधि से सैनिक विश्राम गृह सोलन की मुरम्मत पर खर्च किये गए अग्रीम धन का समायोजन (५९)

समायोजन की तिथि	पी0वी0	देय किए	राशी
04.05.91	पी0वी0 94	प्रथम व अन्तिम बिल श्री गोपाल दास ठाकुर, ठेकेदार बावत मुरम्त स्टाफ क्वाटर	11,841
04.05.91	" 95	प्रथम व अन्तिम बिल श्री गोपाल दास ठाकुर, ठेकेदार को बावत मुरम्मत रिटेनिंग वाल (आर -4)	30,973
04.05.91	" 96	श्री गोपाल दास ठाकुर ठेकेदार को बावत रिटेनिंग वाल (आर -3) प्रथम व अन्तिम बिल	30,540
04.05.91	" 97	प्रथम व अन्तिम बिल श्री गोपाल दास ठाकुर, ठेकेदार बावत रिटेनिंग वाल (आर - 2)	6,318
04.05.91	" 98	प्रथम व अन्तिम बिल श्री गोपाल दास ठाकुर ठेकेदार बावत रिटेनिंग वाल (आर -1)	11,120
04.05.91	" 99	प्रथम व अन्तिम बिल श्री गोपाल दास ठाकुर ठेकेदार बावत मुरम्मत सैनिक विश्राम गृह सोलन	46,455
04.05.91	" 100	प्रथम व अन्तिम बिल श्री गोपाल दास ठाकुर, ठेकेदार बावत स्टोरेज पानी का टैंक का निर्माण	3,584
04.05.91	" 101	प्रथम व अन्तिम बिल श्री गोपाल दास ठाकुर, ठेकेदार बावत सैनिक विश्राम गृह की रि-वायरिंग	33,282
04.05.91	" 102	प्रथम व अन्तिम बिल श्री गोपाल दास ठाकुर, ठेकेदार बावत सैनिक विश्राम गृह सोलन की [illegible]	71,303
04.05.91	" 103	प्रथम व अन्तिम बिल श्री गोपाल दास ठाकुर, ठेकेदार बावत सैप्टिक टैंक का निर्माण	18,300
		जोड़ =	2,63,716